

से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए
TDR क्रमांक को D.O. letter द्वारा
जावे। पत्रावली इत्यादि TDR रिपोर्ट में
दिनांक 24-4-18 को प्रेषित है।

24.4.18

वकील उभय पक्ष उपस्थित
अधिकारी...
पूर्वानुसार दिनांक...08-6-18...

08.06.2018

वादी के अधिवक्ता उपस्थित वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुए वाद वादीया स्वीकार करने हेतु निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीया सहखातेदार है वादी द्वारा अपने नाम का दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया है वादीया अपने वाद पत्र में ना तो सहकाशकारान को पक्षकार बनाया गया है तथा ना ही अपने परिवार के सदस्य जो सहखातेदार के रूप में दर्ज है सं किसी प्रकार का कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाये वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोनी में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर